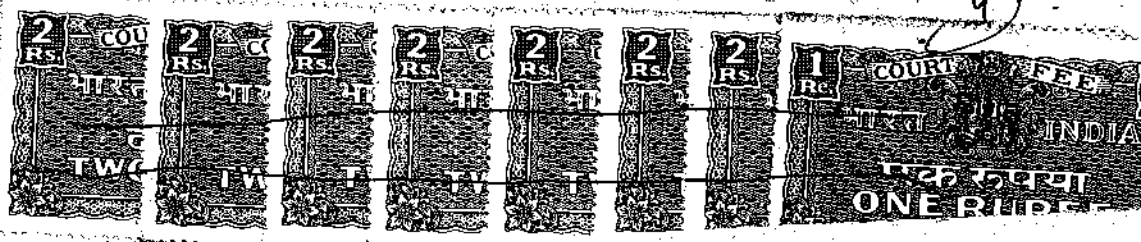

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

प्र.क्र. ——— नि.मा.
2006

R-2071-II/2006

1- मनीराम पुत्र धनपाल

2- अमरलाल

3- रामभजन

पुत्रगण मनीराम सभी जाति धाकड़ निवासीगण

ग्राम सिंगाचोली तेहसील कैलारस जिला मुरैना।म.प्र

श्री विनोद कुमार सक्सेना एड. द्वारा आज दि. 6-11-06 को प्रस्तुत।
6/11/06
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

1-ल्होरे

2- हरीसिंह

पुत्रगण धनपाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम

सिंगाचोली तेहसीलकैलारस जिला मुरैना म.प्र.।

- - - - आवेदकगण

न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त महोदय चम्बल संभाग

श्री अशोक शिवहरे द्वारापारित निर्णय दिनाक 21-9-06

प्र.क्र. 103/05-06 नि.मा. के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत

धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 ।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारान की संयुक्त कृषि भूमि खाते की भूमियाँ ग्राम सिंगाचोली में स्थित है । तथा पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य एवं खाते के सहभागीदार है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -- निग0 2071--दो/06 जिला -- मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 103/05--06/निग0 माल में पारित आदेश दिनांक 21--9--06 के विरूद्ध म0प्र0 भू--राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा हेतु आवेदन अनावेदकों द्वारा पेश किया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण नयायालय ने आदेश दिनांक 26--6--97 द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील हुई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 4--2--02 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व निरीक्षक को मौके पर जांच कर निर्देश देते हुए फर्द तैयार करा कर उभयपक्षों को विधिवत सुनकर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बटवारा आदेश पारित करें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 27--2--04 द्वारा निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के	

R.-2071. II/06

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर यह कहा गया कि विचारण न्यायालय में सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था । सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । यह भी कहा गया कि बटवारे में कम भूमि प्राप्त हुई या कम उपजाऊ किस्म की भूमि प्राप्त हुई इस संबंध में अनावेदकों द्वारा नहीं कहा गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता है । उक्त आधारों पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय में उनकी ओर से आवेदकों ने आवेदन पेश किया गया, अनावेदकों द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया । अनावेदकों द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई । विचारण न्यायालय अनावेदकों को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया । दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी प्रमाणित नहीं हैं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे का है । अपर आयुक्त ने अभिलेख के आधार पर यह पाया गया है "कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में ना तो आवेदन दिया गया है	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2071–दो/06 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	और ना ही उसे बटवारे के संबंध में कोई जानकारी है । सहमति के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित है कि यदि विचारण न्यायालय यह मानते थे कि फर्द बटवारे पर सहमति है तो सहमति बटवारा फर्द को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराना चाहिए था किंतु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और ना ही संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । और ना ही कोई अवैधानिकता अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश को स्थिर रखने में की है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार मैं नहीं पाता हूँ । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	